



यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) को मांग प्रपत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के व्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनांक के अंतर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रवृत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है।

ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा असाधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि व्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारकों को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 15.03.2019 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि मांग सूचना/ अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक संपत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/बोली वृद्धि राशि	धरोहर राशि जमा करने का विवरण
श्रीमती सुजन शर्मा एवं श्री अजय कुमार शर्मा, पता- वार्ड नं. 12, आदित्यमिल कॉलोनी, किशनगढ़ (राजस्थान)	2337826 / - (तेईस लाख सैंतीस हजार आठ सौ छब्बीस) (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 16.07.2018 अधिग्रहण तिथि 23.01.2019	आवासीय मकान, कान्धारियों का मोहल्ला, क्षेत्राफल - किशनगढ़ (राजस्थान) नक्शाफल-965.97 वर्गफीट, मालिक-श्रीमती सुजन शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा सीमाएं- पूर्व : 15' चौड़ा रास्ता, पश्चिम : चौथमल धोबी का पैसेज, उत्तर : चौक, दक्षिण : भंवर सिंह राठौड का मकान	2675000 / - (रुपये छब्बीस लाख पीचत्तर हजार) 267500 / - (रुपये दो लाख सड़सठ हजार पाँच सौ) 5000 / - (रुपये पाँच हजार)	डीडी द्वारा- प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक किशनगढ़, RTGS/NEFT द्वारा खाता संख्या 15670210000847 IFSC कोड UCBA0002718

नियम व शर्तें :- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> के माध्यम से दिनांक 15.03.2019 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की बिक्री से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशल बोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com, श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626373, 7709933635, hemant.ps@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियम व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाईट <https://www.bankeauctionwizard.com> पर देख सकते हैं तथा संबंधित प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 4. उपरोक्त सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगा। 6. ऑनलाईन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 13.03.2019 सांय 04:00 बजे तक है। 7. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन DD/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 8. यदि सफल बोलीद्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जप्त कर लिया जायेगा। 9. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जायेगी। 10. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचाराधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 11. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है' तथा जो है जैसी है के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अवल संपत्ति के संबंध के अधिकार/स्वामित्व/टैक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। ऑनलाईन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की अप्रति स्वीकार नहीं होगी। 12. अधोस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्ण सूची के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 13. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टॉम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सार्वजनिक राशि, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 14. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 13.03.2019 तक बिना किसी समय में कर सकते हैं। 15. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विषयाधीन है। 16. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु शाखा प्रबंधक यूको बैंक किशनगढ़, अजमेर के मो. नं. - 9413982973 पर संपर्क किया जा सकता है। 17. ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।